न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

पत्र संख्या–30/2022

पत्र प्रविष्टि दिनांक–20.07.2022

र्णय दिनांक–16.07.2024

बाबू पुत्र केसरा जाति मीना निवासी ग्राम लोहरवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

हसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

आवेदन बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी 674/3, /5 कुल किता 02 कुल रकबा 1.7829 हैक्ट. वाके ग्राम प्यावडी, ख0न0 415 रकबा 1.9220 हैक्ट. वाके ग्राम वरनगर उर्फ भूरावाली, ख0न0 405/446, 417, 419 कुल किता 03 कुल रकबा 4.3499 हैक्ट. ग्राम अनवरनगर भूरावाली तह0 पीपलू में स्थित है, जो खाता संख्या क्रमशः 335, 61, 63 में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमियों ने खाता संख्या 335 ग्राम प्यावडी व खाता संख्या 63 ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में प्रार्थी का नाम बाबू केसरा के स्थान पर बालू पुत्र केसरा अंकित होने में आ गया है। प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र केसरा ही है, जो अनवरनगर उर्फ भूरावाली की भूमि ख0न0 415 खाता संख्या 61 संवत 2077 में अंकित है, जो सही है। प्रार्थी नाम बालू पुत्र केसरा न होकर बाबू पुत्र केसरा है। दोनो जमाबंदीयो में प्रार्थी के नाम संशोधन किया जाना श्यक है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात् यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी व अन्य सरकारी दस्तावेज में का नाम बाबू पुत्र केसरा ही अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से बाबू के स्थान पर बालू अंकित होने में आ है, जो महज एक टंकणीय त्रुटी है। जो संशोधित किये जाने योग्य है। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम अंकित होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानी उठानी पड रही है तथा लाभ से वंचित हो रहा है। इस ण भी खाता संख्या 335 ग्राम प्यावडी व खाता संख्या 63 ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू में बालू स्थान पर बाबू पुत्र केसरा अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी हसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वेदन किया की ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में आराजी ख0न0 405/446, 417 वर्तमान में नामान्तकरण ख्या 811 निर्णय दिनांक 30.09.2022 से बेचान होकर अन्य खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गया है एवं नवरनगर उर्फ भूरावाली के आराजी ख0न0 419 बालू उर्फ बाबूलाल जाति मीणा निवासी लोहरवाडा के नाम दर्ज कॉर्ड है। ग्राम लोहरवाडा की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 125 पर प्रार्थी का बाबू पुत्र केसरा जाति मीना दर्ज कॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम लोहरवाडा की जमाबंदी खाता संख्या 125 व दस्तावेज आधार कार्ड, नआधार कार्ड, राशनकार्ड में बाबू पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी लोहरवाडा दर्ज है। प्रार्थी बालू उर्फ बाबूलाल केसरा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र केसरा करवाना चाहता है व ग्राम प्यावडी की जमाबंदी खाता संख्या 335 में र्गत भूमि आराजी ख0न0 674/3, 675/5 में खातेदार बसन्ती पत्नि केसरा हिस्सा 1/2 बाबू पुत्र केसरा हि. /2 जाति मीणा सा. लोहरवाडा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम प्यावडी के नामान्तकरण संख्या 1046 दिनांक 04. 1993 के आंवटन के जरिये सिवायचक भूमि से बसन्ती बेवा केसरा व बालू पुत्र केसरा जाति मीणा सा0 हरवाडा गैर खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है। प्रार्थी के दस्तावेजो के आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड बाबू पुत्र केसरा जाति मीणा सा0 लोहरवाडा का अंकन है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। वक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी 674/3, /5 कुल किता 02 कुल रकबा 1.7829 हैक्ट. वाके ग्राम प्यावडी, ख0न0 415 रकबा 1.9220 हैक्ट. वाके ग्राम वरनगर उर्फ भूरावाली, ख0न0 405/446, 417, 419 कुल किता 03 कुल रकबा 4.3499 हैक्ट. ग्राम अनवरनगर भूरावाली तह0 पीपलू में स्थित है, जो खाता संख्या क्रमशः 335, 61, 63 में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमियों से खाता संख्या 335 ग्राम प्यावडी व खाता संख्या 63 ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में प्रार्थी का नाम बाबू केसरा के स्थान पर बालू पुत्र केसरा अंकित होने में आ गया है। प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र केसरा ही है, जो अनवरनगर उर्फ भूरावाली की भूमि ख0न0 415 खाता संख्या 61 संवत 2077 में अंकित है, जो सही है। प्रार्थी नाम बालू पुत्र केसरा न होकर बाबू पुत्र केसरा है। दोनो जमाबंदीयो में प्रार्थी के नाम संशोधन किया जाना श्यक है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात् यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी व अन्य सरकारी दस्तावेज में का नाम बाबू पुत्र केसरा ही अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से बाबू के स्थान पर बालू अंकित होने में आ है, जो महज एक टंकणीय त्रुटी है। जो संशोधित किये जाने योग्य है। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम अंकित होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानी उठानी पड रही है तथा लाभ से वंचित हो रहा है। इस ण भी खाता संख्या 335 ग्राम प्यावडी व खाता संख्या 63 ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू में बालू स्थान पर बाबू पुत्र केसरा अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में आराजी ख़0न0 405/446, 417 ान में नामान्तकरण संख्या 811 निर्णय दिनांक 30.09.2022 से बेचान होकर अन्य खातेदार के नाम दर्ज र्ड हो गया है एवं अनवरनगर उर्फ भूरावाली के आराजी ख0न0 419 बालू उर्फ बाबूलाल जाति मीणा निवासी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ोहरवाडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम लोहरवाडा की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 125 पर प्रार्थी का बाबू पुत्र सरा जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम लोहरवाडा की जमाबंदी खाता संख्या 125 व स्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड में बाबू पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी लोहरवाडा दर्ज है। र्थी बालू उर्फ बाबूलाल पुत्र केसरा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र केसरा करवाना चाहता है व ग्राम प्यावडी की माबंदी खाता संख्या 335 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 674/3, 675/5 में खातेदार बसन्ती पत्नि केसरा स्सा 1/2 बाबू पुत्र केसरा हि. 1/2 जाति मीणा सा. लोहरवाडा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम प्यावडी के मान्तकरण संख्या 1046 दिनांक 04.01.1993 के आंवटन के जरिये सिवायचक भूमि से बसन्ती बेवा केसरा व लू पुत्र केसरा जाति मीणा सा0 लोहरवाडा गैर खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है। प्रार्थी के दस्तावेजो के आधार ई, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड में बाबू पुत्र केसरा जाति मीणा सा0 लोहरवाडा का अंकन है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा जमाबंदी खाता संख्या 61 वाके ग्राम अनवरनगर भूरावाली, जमाबंदी खाता संख्या 63 वाके ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली, जमाबंदी खाता संख्या 125 वाके लोहरवाडा, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी ई–पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक ऑफ दा, शाखा बगडी द्वारा जारी पासबुक तह0 पीपलू जिला टोंक का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर किया। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं की उक्त आराजीयात ग्राम प्यावडी के नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 04.01.1993 के आवंटन के जरिये सिवायचक भूमि से बसन्ती बेवा केसरा व बालू पुत्र केसरा जाति सा0 लोहरवाडा गैर खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है। तहसीलदार पीपलू द्वारा उक्त आवंटन आदेश का ानुसार नामान्तकरण भरा गया है। उक्त नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियो ने कोई विधिक त्रुटी कारित नही गई है। मुताबिक आवंटन के ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है की उक्त नामान्तकरण में की गई है। आवंटन बाबू पुत्र केसरा के नाम से ही किया गया है। नामान्तकरण की त्रुटी के प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. के तहत् अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। उक्त ण में प्रार्थी ने प्रा0पत्र 136 एल.आर.एक्ट के तहत् प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त प्रकरण में धारा 136 एल. एक्ट. के प्रावधान लागू नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानो के तहत् कवर नही होता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले लय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक (राज0)